परिशिष्ट 5

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003

[15 जनवरी, 2004]

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह उस तारीख* को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. नए अनुच्छेद 268क का अंतःस्थापन--संविधान के अनुच्छेद 268 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"268क. **संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर**--(1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड (1) के उपबंध के अनुसार उद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का--

(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण ;

(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन,

संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें संसद् विधि द्वारा बनाए ।" ।

3. अनुच्छेद 270 का संशोधन--संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड (1) में, "अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

4. सातवीं अनुसूची का संशोधन--संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 1--संघ सूची में, प्रविष्टि 92ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"92ग. सेवाओं पर कर ।"।

---

* तारीख अधिसूचित की जानी है ।

APPENDIX-V

THE CONSTITUTION (EIGHTY-EIGHTH AMENDMENT) ACT, 2003

[15th January, 2004.]

An Act further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:--

1. Short title and Commencement.—(1) This Act may be called the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date* as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Insertion of new article 268A.—After article 268 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:--

"268A**. Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States.—** (1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the States in the manner provided in clause (2).

(2) The proceeds in any financial year of any such tax levied in accordance with the provisions of clause (1) shall be**—**

(a) collected by the Government of India and the States;

(b) appropriated by the Government of India and the States,

in accordance with such principles of collection and appropriation as may be formulated by Parliament by law.".

3. Amendment of article 270.—In article 270 of the Constitution, in clause (1), for the words and figures "articles 268 and 269", the words, figures and letter "articles 268, 268A and 269" shall be substituted.

4. Amendment of Seventh Schedule.—In the Seventh Schedule to the Constitution, in **List I–Union List,** after entry 92B**,** the following entry shall be inserted, namely:--

"92C. Taxes on services.".

---

* Date yet to be notified.